बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

संख्या–07/स्था0–04–05/2022 सा0प्र0वि0 9659 /पटना–15, दिनांक 20.06.2024

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद द्वारा बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–**

(1) यह नियमावली 'बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2024' कही जा सकेगी।

(2) यह बिहार राज्य में पटना उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी व्यवहार न्यायालयों पर लागू होगा।

(3) यह बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के नियम 6(iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"प्रत्येक क्षेत्रीय चयन समिति के अध्यक्ष को शामिल कर केंद्रीकृत समिति का गठन किया जाएगा, जिसके संयोजक जिला न्यायाधीश, पटना होंगें। केन्द्रीकृत समिति के संयोजक, जिला न्यायाधीश, पटना उक्त समिति के पदेन सदस्य भी होंगें जो क्षेत्रीय चयन समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त, एक सदस्य के रूप में भाग लेंगें। क्षेत्रीय समितियो और केंद्रीकृत समिति की बैठक बुलाए जाने पर समिति के सदस्यों में से वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

3. बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के नियम 6(iv) में **'क्षेत्रीय'** शब्द को **'केंद्रीकृत'** से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के नियम 6(v) में **'क्षेत्रीय'** शब्द को **'केंद्रीकृत'** से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के नियम 6क (iii) में **'5 प्रतिशत की सीमा'** शब्दों को **'10 प्रतिशत की सीमा'** शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा और **"अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत"** शब्दों को **"15 प्रतिशत अधिकतम सीमा"** शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
20/6/24
(गुफरान अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

G:\SEC-07\Rules\B.C.C.O.& S. Rules, 2024\notification.docx

ज्ञापांक–07/स्था0–04–05/2022 सा0प्र0वि0 9659 /पटना–15, दिनांक 20.06.24

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 और ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को इसकी सी0डी0 सहित द्विप्रतिक प्रतियों में असाधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2 अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग को इस अधिसूचना की 200 (दो सौ) प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाए।

(गुफरान अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–07/स्था0–04–05/2022 सा0प्र0वि0 9659 /पटना–15, दिनांक 20.06.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–81851 दिनांक 18.12.2023 एवं 1356 दिनांक 08.01.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गुफरान अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–07/स्था0–04–05/2022 सा0प्र0वि0 9659 /पटना–15, दिनांक 20.06.24

प्रतिलिपिः–सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 20.06.2024 के मद संख्या–12 के प्रसंग में/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गुफरान अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

संख्या–07/स्था0–04–05/2022....9660.....सा0प्र0वि0 दिनांक ...20.06.2024

अधिसूचना संख्या–...9659 दिनांक 20.06.24 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(गुफरान अहमद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihar

Genereal Administration Department

NOTIFICATION

No-07/Stha.04-05/2022 GAD....9659...../Patna-15, Dated ..20.06.24

In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the '*The Bihar Civil Court Offices and Staff (Recruitment, Promotion, Transfer and other service conditions) Rules, 2022*'.

1. **Short title, extent and commencement.-**

(1) These Rules may be called "The Bihar Civil Courts Officers and Staff (Recruitment, Promotion, Transfer and Other Service Conditions) (Amendments) Rules, 2024".

(2) It shall apply to all the Civil Courts subordinate to the Patna High Court in the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette of the Government of Bihar.

2. Rule 6 (iii) of '*The Bihar Civil Court Officers and Staff (Recruitment, Promotion, Transfer and other service conditions) Rules, 2022*' shall be substituted by the following -

A Centralized Committee shall be constituted consisting of the Chairman of each Zonal Selection Committee of which the District Judge, Patna shall be the Convenor. The District Judge, Patna as the Convenor of the Centralized Committee *ex-officio* shall be a member of the said Committee in addition to the Chairpersons of each of the Zonal Selection Committees and shall participate in the meetings of the Centralized Committee in that capacity, as one of the members. When

the meeting of the Zonal Committees and the Centralized Committee are convened, the senior most District Judge amongst the Members of the Committee shall chair the meeting.

3. In **Rule 6 (iv)** of '*The Bihar Civil Court Officers and Staff (Recruitment, Promotion, Transfer and other service conditions) Rules, 2022*', the word ***'Zonal'*** shall be replaced with ***'Centralized'***.

4. In **Rule 6 (v)** of '*The Bihar Civil Court Officers and Staff (Recruitment, Promotion, Transfer and other service conditions) Rules, 2022*', the word ***'Zonal'*** shall be replaced with ***'Centralized'***.

5. In **Rule 6 A (iii)** of '*The Bihar Civil Court Officers and Staff (Recruitment, Promotion, Transfer and other service conditions) Rules, 2022*', the words **"extent of 5%"** shall be replaced with the words **"extent of 10%"** and further, the words **"maximum limit 10%"** shall be replaced with the words **"maximum limit of 15%"**.

By the order of the Governor of Bihar

(Ghufran Ahmad)
Joint Secretary to the Govt.

Memo No-07/Stha.04-05/2022 GAD.....9659..../Patna-15, Dated 20.06.24

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to the Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna-7 and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200(Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

(Ghufran Ahmad)
Joint Secretary to the Govt.

Memo No-07/Stha.04-05/2022 GAD....9659...../Patna-15, Dated 20.06.24

Copy forwarded to the Accountant General, Bihar, Patna/ Registrar General, High Court, Patna with reference to his letter No.-81851 Dated 18.12.2023 & 1356 Dated 08.01.2024 for information & necessary action.

(Ghufran Ahmad)
Joint Secretary to the Govt.

Memo No-07/Stha.04-05/2022 GAD....9659...../Patna-15, Dated 20.06.24

Copy forwarded to Secretary (Resource), Finance Department, Bihar, Patna/ Additional Secretary, Cabinet Secretariat Department, Bihar, Patna with reference to Cabinet Item No.-12 date 20.06.2024/ Secretary, Bihar Legislative Assembly, Bihar, Patna/ Secretary, Bihar Legislative Council, Bihar, Patna/ Secretary, Law Department, Bihar, Patna/All District and Session Judge, Bihar and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

(Ghufran Ahmad)
Joint Secretary to the Govt.